पांचवीं अनुसूची

(धारा 111 देखिए)

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 8 के टिप्पण 1 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

'1. इस अध्याय के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आता :

(क) अखाद्य गिरी या फल ; या

(ख) पान सुपारी उत्पाद जिसे टैरिफ मद 2106 90 30 की "सुपारी" के रूप में जाना जाता है ।';

(2) अध्याय 21 के टिप्पण 5 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'6. टैरिफ मद 2106 90 30 के उत्पादों के संबंध में पान, सुपारी में इलाइची, गिरी, पोदीना, मसाले, मिष्ठान कारकों या किसी भी रूप में, चूना, कत्था या तंबाकू से भिन्न कोई अन्य घटक मिलाना या मिश्रित करना, 'विनिर्माण' की कोटि में आएंगे ।';

(3) अध्याय 58 में, टैरिफ मद 5801 22 10 के सामने,—

(i) स्तंभ (3) में, प्रविष्टि "वर्गमीटर" अंतःस्थापित की जाएगी ;

(ii) स्तंभ (4) में, प्रविष्टि "8%" अंतःस्थापित की जाएगी ।

http://indiabudget.nic.in